FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मण्डावर(दौसा)

शिवलाल वगैरह बनाम सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावर

किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 **मु.न. 53/2025**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.08.2025	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री खेमसिंह गुर्जर द्वारा वास्ते पत्थरगढी प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को सम्मन जरिये **Registered AD** वास्ते जाहिर करने वजह जारी हो। तहसीलदार मण्डावर को प्रकरण के संदर्भ में मौका व राजस्व रिकॉर्ड अनुसार बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली वास्ते बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार एव तलबी दिनांक 29.08.2025 को पेश हो। उपखण्ड़ अधिकारी मंडावर (दौसा)	
	29.8.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी तहसीलदार मं०डावर से जवाब। बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 28/8/25 को प्राप्त हुआ। शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रार्थी ने प्र.पत्र बाबत पत्थरगढी पर बहस हेतु निवेदन किया। प्र.पत्र पर अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। बहस का मनन किया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थीगण का प्र.पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू. राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया। आकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
53/2025	05.08.2025	29.08.2025

बउनवान

1. शिवलाल पुत्र कजोड़्या, निवासी हल्दैना, तहसील मण्डावर, दौसा।
2. धर्मेन्द्र पुत्र कजोड़्या, निवासी हल्दैना, तहसील मण्डावर, दौसा।
3. पप्पूराम पुत्र कजोड़्या, निवासी हल्दैना, तहसील मण्डावर, दौसा।

..प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावर, जिला दौसा।

..अप्रार्थी

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थीगण – श्री खेमसिंह गुर्जर।
2. अप्रार्थी – तहसीलदार मण्डावर।

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

1. प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण की खातेदारी की विवादित आराजीयात खाता सं. 40 के खसरा सं. 1131/1599 रकबा 0.03 हैक्टे., 1141/1598 रकबा 0.12 हैक्टे., 1146/1597 रकबा 0.04 हैक्टे., 1149 रकबा 0.18 हैक्टे, 1531/1113 रकबा 0.103 हैक्टे., 1532/1113 रकबा 0.007 हैक्टे., 1533/1147 रकबा 0.864 हैक्टे., 1534/1147 रकबा 0.36 हैक्टे., कुल किता 08, कुल रकबा 1.38 हैक्टे. ग्राम हल्दैना, तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित है। प्रार्थीगण अपनी उक्त खातेदारी की आराजी पर लम्बे समय से कब्जा काश्त करते चले आ रहे हैं और अपने उपयोग–उपभोग में अपनी सुविधानुसार ले रहे हैं। प्रार्थीगण के अलावा किसी भी अन्य पक्षकार की कोई भी साझेदारी व भागीदारी उक्त आराजी में नहीं है। उक्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में भी प्रार्थीगण के नाम मौजूदा जमाबन्दी में इन्द्राज है। प्रार्थीगण ने उक्त आराजी की मौके पर पत्थरगढी नहीं कर रखी है, डोलमेड बना रखी है। प्रार्थीगण उक्त आराजी की पैमाईश सीमाज्ञान बाबत दिनांक 02.06.2025 को तहसीलदार मण्डावर के आदेश क्रमांक 4 दिनांक 23.04.2025 की पालना में गठित राजस्व टीम उक्त आराजी खसरा नंबर के निशानदेही कार्य हेतु मौके पर पहुंचे। उक्त खसरा नंबर का जरीब चला कर सीमाज्ञान किया एवं निशानात लगाये गये। मौके पर पर्चा रिपोर्ट बनाया गया मगर उस समय मौका पर पत्थरगढी नहीं की गयी। दिनांक 25.07.2025 को प्रार्थीगण अप्रार्थी के कार्यालय तहसील मण्डावर में गये और उन्होंने सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढी की बात कही और कहा कि डोलमेढ मिटने जा रही है जिससे पडोसी खातेदारों व हमारे मध्य विवाद

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मंण्डावर (दौसा)

की स्थिति उत्पन्न हो सकती हैं। आप हमारी भूमि पर मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी करवा दें जिस पर तहसीलदार मण्डावर ने कहा कि पत्थरगढी के आदेश करने का कार्य मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं आता, आप एसडीओ के न्यायालय से आदेश लेकर आओ, तब पत्थरगढी करेगें और तहसीलदार ने पत्थरगढी करवाने से मना कर दिया। इसलिये यह प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पेश करना लाजमी आया है। खातेदार कौशल्या देवी पत्नि स्व. कजोड़्या की मृत्यु हो जाने से उसके विधिक वारिसान प्रार्थीगण है जो प्रार्थना पत्र में पहले से ही मौजूद हैं। वाकया ग्राम हल्दैना, तहसील मण्डावर जिला दौसा में उत्पन्न हुआ है, इसलिये प्रार्थना पत्र पर माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र पर निश्चित न्याय शुल्क चस्पा है। प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश है। अन्य उज्रात वरवक्त बहस जुबानी अर्ज किये जावेगें। अतः अर्ज है कि प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण की खातेदारी की उक्त विवादित आराजीयात की सीमाज्ञान/पैमाईश रिपोर्ट के आधार पर पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश अप्रार्थी तहसीलदार मण्डावर को किया जावे।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते जवाब नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार मण्डावर ने जवाब दिनांक 28.08.2025 प्रस्तुत किया कि " वाद में दर्ज आराजी खसरा सं. 1131/1599, 1141/1598, 1146/1597, 1149, 1531/1113, 1532/1113, 1533/1147, 1534/1147 कुल किता 08, कुल रकबा 1.38 हैक्टे. भूमि में कौशल्या देवी पत्नी स्व. कजोड़्या हिस्सा 1/4, धर्मेन्द्र पुत्र कजोड़्या हिस्सा 1/4, पप्पूराम पुत्र कजोड़्या हिस्सा 1/4, शिवलाल पुत्र कजोड़्या हिस्सा 1/4, जाति बलाई सा. देह खातेदार रहिन केनरा बैंक शाखा मण्डावर दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर आराजी खसरा न. 1131/1599, 1141/1598, 1146/1597, 1531/1113, 1532/1113, 1533/1147, 1534/1147, कुल किता 07, रकबा 1.20 हैक्टे. पर खातेदार कौशल्या देवी पत्नी स्व. कजोडया हिस्सा धर्मेन्द्र पुत्र कजोडया हिस्सा 1/4, पप्पूराम पुत्र कजोडया हिस्सा 1/4, शिवलाल पुत्र कजोडया हिस्सा 1/4 जाति बलाई सा. देह खातेदार का कब्जा काश्त है परन्तु आराजी खसरा न. 1149 रकबा 0.18 हैक्टे. पर उपरोक्त काश्तकारों का वर्तमान में कब्जा नहीं है। उक्त खसरे पर अन्य किसी काश्तकार द्वारा कब्जा किया हुआ होना बताया है। खसरा नं. 1131/1599, 1141/1598, 1146/1597, 1149, 1531/1113, 1533/1147 किता 6 पर वर्तमान में मौके पर फसल बोयी हुई है। फसल काटने के उपरान्त ही पत्थरगढी की कार्यवाही की जा सकती है। मौके पर पत्थरगढी के समय पडोसी खातेदारों द्वारा विवाद उत्पन्न करने की पूर्ण सम्भावना है। इसलिए पर्याप्त पुलिस जाब्ता व उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की कार्यवाही की जानी संभव है।"

3. प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया।

4. पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 के अनुसार, ग्राम हल्दैना, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित उक्त विवादित आराजीयात खसरा सं. 1131/1599, 1141/1598, 1146/1597, 1149, 1531/1113, 1532/1113, 1533/1147, 1534/1147 के प्रार्थीगण दर्ज रिकॉर्ड

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

खातेदार है। प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात का दिनांक 02.06.2025 को तहसीलदार मण्डावर के द्वारा गठित टीम के द्वारा सीमाज्ञान किया जा चुका है।

5. प्रार्थीगण अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने के अधिकारी है किन्तु खसरा सं. 1149 पर प्रार्थीगण का कब्ज़ा नहीं होने के कारण इस खसरा सं. 1149 के लिये इस स्तर पर पत्थरगढ़ी के आदेश किया जाना उचित नहीं है। पत्थरगढ़ी से राजस्व अभिलेख में किसी भी पक्षकार के किसी प्रकार के हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक स्वीकार किया जाना उचित है।

<u>आदेश</u>

6. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक स्वीकार किया जाकर ग्राम हल्दैना, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित खसरा सं. 1131/1599, 1141/1598, 1146/1597, 1531/1113, 1532/1113, 1533/1147, 1534/1147 कुल रकबा 1.20 हैक्टे. के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण के उक्त खसरों की पत्थरगढी किये जाने के लिये भू. अभिलेख निरीक्षक हल्दैना को रूपये 2000/— फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। लिखित सहमति पश्चात् प्रार्थीगण की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न की जावें। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड में फेरबदल नही किया जावें। प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में किसी न्यायालय का स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावें। अतः भू. अभिलेख निरीक्षक हल्दैना मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण एवं पडोसियों की उपस्थिति में पत्थरगढी कर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार मण्डावर को पालनार्थ हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

7. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 29.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)